राष्ट्रीय स्मारकों को 'गुलामी' की मानसिकता से मुक्त किया जाना चाहिए

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-I
(कला और संस्कृति)

स्मारक पत्थर में उकेरी गई यादें हैं। आजादी के बाद, इतिहास की किताबें लिखने के लिए जिम्मेदार लोगों की मानसिकता को ठीक करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए, जो ब्रिटिश तरीके से स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के बारे में सोचते रहे और हमारी हार और हमारे दुश्मनों की जीत का इतिहास पढ़ाते रहे।

वि-औपनिवेशीकरण अभियान के तहत राष्ट्रीय स्मारक

वर्तमान में राजा सुहेलदेव, रानी दुर्गावती और लचित बरफुकन की गाथाओं को सामने लाते हुए, वि-औपनिवेशीकरण अभियान शुरू हुआ। इसमें उपेक्षित अनंग ताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने वाले दिल्ली के संस्थापक-राजा अनंगपाल तोमर की कहानी पर प्रकाश डाला गया है। इसने धौलावीरा के सिंधु-सरस्वती स्थल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए और एक नए शिवाजी-युग से प्रेरित नौसैनिक प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया।

भारतीय संस्कृति को नई दिशा देने के लिए रिपोर्ट

- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा श्रमसाध्य रूप से प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ- अध्यक्ष बिबेक देबरॉय और सदस्य संजीव सान्याल द्वारा लिखित- 'उम्मीद है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ब्रिटिश गुलाम मानसिकता के अवशेष बदल जाएंगे', भारत को प्रतिबिंबित करने वाली तर्कसंगत सोच को रास्ता दे रहा है।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए)

- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की स्थापना प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार की गई है, जो मार्च, 2010 में अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के समीपस्थ प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के प्रबंधन के माध्यम से स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण से संबंधित कई कार्य सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अपने इन उत्तरदायित्वों में आवेदकों को प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान करने पर भी विचार करता है।
- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम में संशोधन के बाद इन प्रावधानों में 2010 में परिवर्तन किया गया-
  - 'निषिद्ध' और विनियमित क्षेत्रों के लिए सांविधिक प्रावधान।
  - विनियमित क्षेत्र में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध।
  - निर्माण/मरम्मत/नवीकरण के लिए अनुमति लेने के लिए आवेदनों के लिए सांविधिक प्रक्रिया व्यवस्थित करना।
  - प्राधिकरण धरोहर उप-विधियों की आवश्यक जांच करेगा और जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के बाद अनुमोदन प्रदान करेगा।
  - स्मारकों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना।

- यह रिपोर्ट सही दिशा में एक बड़ा कदम है और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण और नामकरण की दिशा में भगवद्गीता बन सकती है।
- रिपोर्ट द्वारा की गई सभी सिफारिशों को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम में संशोधन किए बिना लागू किया जा सकता है और इसके लिए केवल कार्यकारी आदेशों की आवश्यकता होती है।

अतीत के व्यक्तित्वों और भारतीय इतिहास में उनके योगदान को पहचानना और सामने लाना

- जिस तरह से राष्ट्रीय महत्व के 3,695 स्मारकों की सूची बनाई गयी है, उसके कुछ दिलचस्प पहलू हैं। मराठा रानी ताराबाई भोंसले की सतारा में समाधि, जिसने मुगलों से लड़ाई की और 30 वर्षों तक शासन किया, खंडहर में है। किसी ने नहीं सोचा था कि यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित होने के सम्मान का हकदार है।
- दलितों के संघर्ष और बी आर अंबेडकर के जीवन से जुड़ा एक भी स्मारक ऐसा नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया हो। इस आशय का कोई प्रस्ताव स्वीकार भी नहीं किया गया है।

एनएमए में सदस्य

अधिनियम में राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और अधिकतम 5 पूर्णकालिक और 5 अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव की व्यवस्था है। महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके पदेन सदस्य हैं।

निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की सीमाएं क्या हैं?

संरक्षित स्मारकों या साइट के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से शुरू होने वाली सभी दिशाओं में, केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में न्यूनतम निषिद्ध क्षेत्र 100 मीटर है। केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के विनियमित क्षेत्र की न्यूनतम सीमा 200 मीटर है जो निषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होगी। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिश पर केंद्र संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के वर्गीकरण के अनुसार ये सीमा क्षेत्र विस्तार योग्य हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)

- एएसआई, संस्कृति मंत्रालय के तहत, देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसकी गतिविधियों में पुरातन अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम- एएसआई के पहले महानिदेशक द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्व के पिता" के रूप में भी जाना जाता है।

- एनएमए द्वारा एक विस्तृत स्थल निरीक्षण के बाद, केरल के राज्यपाल ने सिफारिश की कि आदि शंकर की जन्मस्थली कलाडी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाए। सिफारिश का जवाब भी नहीं दिया गया।
- संस्कृति राज्य मंत्री के साथ राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा राजस्थान में मनगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई थी। यह 17 नवंबर, 1913 को ब्रिटिश सेना द्वारा 1,500 से अधिक भीलों के नरसंहार का स्थल था। हम अभी भी इस पर कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

- तोता-मैना की कब्र और दादी पोती का गुंबद जैसे सौ से अधिक स्मारक हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं है। कोई नहीं जानता कि वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या उन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। इसी तरह, कुछ को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में नामित करना तर्क को झुठलाता है, जैसे मुहम्मद गोरी के सेनापति की छतरी। किसने तय किया कि इस तरह के स्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं और अब तक इन फैसलों की समीक्षा क्यों नहीं हुई?
- मार्तंड सूर्य मंदिर, परिहासपोरा और हरवन मठ जैसे कश्मीर से राष्ट्रीय महत्व के एक भी स्मारक को कभी भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की सिफारिश नहीं की गई थी और किसी को भी सुरक्षा गार्ड भी नहीं दिया गया है जैसा कि हम अन्य स्थलों पर देखते हैं।

आगे की राह

योजना आयोग के तर्ज पर स्मारकों पर काम करने वाली सभी एजेंसियों के कामकाज और जनादेश पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से मुक्त कर देना चाहिए और उन लोगों के हवाले कर देना चाहिए जो उनके विषय को जानते हो। हमें भारत के सभ्यतागत और क्रांतिकारी स्मारकों को संरक्षित करने के लिए एक पुरातत्व फाउंडेशन की आवश्यकता है, न कि आक्रमणकारियों के कब्रिस्तानों (कब्रिस्तानों) के चौकीदार बनने की। इन्हें जिला स्तरीय पुरातात्विक टैग दिया जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि बिबेक देबरॉय-संजीव सान्याल की रिपोर्ट इस दिशा में नई सोच लाएगी।

IAS GS World PCS
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) संस्कृति मंत्रालय के तहत, देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है।
2. अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्व के पिता" के रूप में जाना जाता है।
3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गयी थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Que. Consider the following statements–

1. The Archaeological Survey of India (ASI), under the Ministry of Culture, is the premier organization for archaeological research and conservation of the country's cultural heritage.
2. Alexander Cunningham is also known as the " Father of Indian Archaeology".
3. The Archaeological Survey of India was established in 1861

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

उत्तर : D

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : 'आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।' इसके महत्त्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ आर्थिक सलाहकार परिषद् के रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व को बताएं।
- ❖ संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।